संख्याः 991/VII-II-09/191–उद्योग/2007

प्रेषक,

हरिओम,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय,
नई दिल्ली।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 18 जून, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए अवचनबद्ध मदों में व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 102/बजट/मुनिआ/2009–10 दिनांक 28.4.2009 तथा शासनादेश संख्याः 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के प्रथम 04 माह के लेखानुदानान्तर्गत 25–मुख्य निदेश आयुक्त उद्योगालय नई दिल्ली के अवचनबद्ध मदों में निम्न विवरणानुसार, कुल रू01.07 लाख (रू0 एक लाख सात हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके नियंत्रण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

कोड/मद का नाम	आवंटित बजट (रू0 हजार में)
04–यात्रा व्यय	17
07–मानदेय	3
08–कार्यालय व्यय	17
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	13
42–अन्य व्यय	17
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटवेयर का क्रय	7
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबन्धी स्टेशनरी का क्रय	13
कुल योगः	**107**
	(रू0 एक लाख सात हजार मात्र)

2– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा तथा प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत करा दिया जावेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उक्त धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अवचनबद्ध मदों में ही स्वीकृत की जा रही है व आपके नियंत्रण पर इस आशय से रखी जा रही है कि अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5— अवचनबद्ध मदों में बजट आवंटन की सीमा में ही व्यय को सीमित रखा जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6— व्यय करते समय यथा आवश्यक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

7— कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति से अथवा उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

8— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान (102 03 से स्थानान्तरित) मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 939/XXVII(1)/2009 दिनांक 12 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 991/VII-II-09/191–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।